न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :- एलआर एक्ट/भीलवाड़ा/113/2016(2016/00024)

1. चावण्डसिंह पुत्र मोहनसिंह
2. मु0उगमबाई बेवा मोहनसिंह
3. लाडकंवर बेवा मोहनसिंह
4. बहादुरसिंह पुत्र नाहरसिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दशा(के) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. श्रीमती मिठ्ठू कंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी उदावतों का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
6. श्रीमती पप्पू कंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी उदावतों का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती शैल कंवर पत्नि स्व0 माधुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दाशा(के)तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री माधुसिंह पत्नि चैनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. श्रीमती मुन्ना कंवर पुत्री माधुसिंह पत्नि रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चोकी का खेडा तहसील साहडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती प्रकाश कंवर पुत्री माधुसिंह पत्नि बलवीरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोड का निम्बाहेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. पप्पुसिंह पुत्र माधुसिंह
6. मु0श्यामुकंवर बेवा शम्भूसिंह
7. राजुसिंह पुत्र शम्भूसिंह
8. चावण्डसिंह पुत्र शम्भूसिंह
   सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्दशा (के)तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. श्रीमती पिन्टू कंवर पुत्री शम्भूसिंह पत्नि दलपतसिंह जाति राजपूत निवाासी करण जी की खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
10. श्रीमती मिटठू कंवर बेवा मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी नान्दाशा (के)तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
11. अंजली पुत्री महावीरसिंह नाबालिग जरिये पिता महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोड का निम्बाहेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
12. प्रियंका पुत्री महावीरसिंह नाबालिग जरिये पिता महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोड का निम्बाहेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
13. मनीपा पुत्री महावीरसिंह नाबालिग जरिये पिता महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोड का निम्बाहेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
14. सुरेशसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी नान्दशा (के)

15. श्रीमती मंजू कंवर पुत्री मोतीसिंह पत्नि नटवरसिंह जाति राजपूत निवासी नान्दशा (के)
16. श्रीमती रेखा पुत्री मोतीसिंह पत्नि धनसिंह जाति राजपूत निवासी झालडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
17. रिंकू कंवर पुत्री मोतीसिंह नाबालिग जरिये माता मु0मिटठू कंवर बेवा मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी नान्दशा(के) तहसील सहाडा,भीलवाडा
18. हेमलता पुत्री मोतीसिंह नाबालिग जरिये माता मु0मिटठू कंवर बेवा मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी नान्दशा(के) तहसील सहाडा,भीलवाडा
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा, जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार, सहाडा जिला भीलवाड़ा दिनांक 06.06.2016 प्रकरण संख्या 20/2014.

उपस्थितः-

1. श्री एम0एल0गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री ईश्वर देवडा,वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 20.

निर्णय

दिनांकः-21.01.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान तहसीलदार, सहाडा जिला भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा(के) में स्थित विवादित भूमि खाता संख्या 542 की आराजी कुल किता 33 कुल रकबा 97 बीघा 6 बिस्वा भूमि जिसका नामन्तरकरण संख्या 23 दिनांक 18.05 का विरासत का शम्भूसिंह,नाथुसिंह वगैरा के नाम स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के यहां प्रस्तुत की गई जो दिनांक 27.11.2014 को स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 23 को निरस्त करते हुए नामान्तरकरण प्रकरण तहसीलदार सहाडा को रिमाण्ड किया गया जिस पर उन्होंने प्रकरण दर्ज करते हुए खाता संख्या 455,365,735,734,278,473एंव 733 में मृतक खातेदार माथुसिंह पिता गोपसिंह के बजाय विरासत से पप्पूसिंह कैलाशकंवर,मुन्नाकंवर,प्रकाशकंवर पिसरान माधुसिंह एंव मु0शैलकंवर बेवा माधुसिंह के नाम राजस्व रिकाड्र में दर्ज करने का आदेश दिनांक 06.06. 2016 को पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णसे से अप्रसन्न होकर अपील में उल्लेख किया कि विद्वान तहसीलदार ने प्रार्थी को बिना विधिवत नोटिस दिये एंव समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान

किये बिना ही पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर एक तरफा में अपीलाधीन निर्णय प्रदान कर दिया एंव नामान्तरकरण संख्या 23 जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है वह विधिवत है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रृटि नहीं थी किन्तु तहसीलदार ने पूर्व नामान्तरकरण का विवेचन नहीं कर सरसरी तोर पर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया,प्रार्थी को अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत् एक माह का समय दिया जाना आवश्यक था । विद्वान तहसीलदार ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और प्रार्थीगण का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा है इस प्रकार जब तक प्रार्थी की आपत्तियों का निस्तारण तहसीलदार नहीं कर लेता तब तक उनको अन्तिम निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं था अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भूल की है । यह निर्णय न्याय नियम एंव रिकार्ड के विपरित व न्याय के सहज एंव प्राकृति सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- अपीलांट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को ताईद करते हुए मुख्य तर्क यह दिया कि तहसीलदार सहाडा द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में दिनांक 06.06.2016 को बिना हमे सुना जाकर हमारा नाम हटाने का आदेश दिया अतः प्रकरण की पुनः जांच कर साक्ष्य प्राप्त कर प्रकरण के निस्तारण के निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड फरमायें ।

3- रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत बताते हुए अपील खारिज फरमाये का निवेदन किया गया ।

4- अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा-5 पर अपीलान्ट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि दिनांक 06.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया इसकी सर्वप्रथम जानकारी 11.08.2016 को हुई जब रेस्पोडेन्ट ने विवादित भूमि पर आकर अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखल की धमकी दी इस पर अपीलांट दिनांक 12.08.2016 को सहाडा गया एंव निर्णय की पुष्टि होने पर अपीलांट ने दिनांक 12.08.2016 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति आवेदन कर प्राप्त करने के बाद अपने घर गया एंव फीस आदि की व्यवस्था कर अजमेर आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवायी जाकर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2016 को प्रस्तुत कर दी गई । उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी उपरोक्त सद्भाविक कारण से होने के कारण क्षमा किये जाने योग्य है इसलिए न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील की नुवाई गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया ।

5- सर्वप्रथम हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण अपील के निर्णय से पूर्व करना करना उचित समझते है इसलिए हम न्यायहित में अपीलांट को

सुना जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः अपील में हुए विलम्ब क्षम्य किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6- हमने उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख सहित अदालत हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क एंव विधि प्रावधानों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है ग्राम नांदशा(के)स्थित विवादित आराजी भूमि का नामान्तरकरण सं023 अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर दिनांक 18/5 को फैशल किया गया जिसमें दिनांक व माह अंकित है किन्तु वर्ष अंकित नहीं है इससे संदेह की स्थिति निर्मित होती है चूंकि मामला सामलाती आराजी भूमि का होकर मृतक माधुसिंह के बजाय विरासत से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण संख्या 05/2013 के संदर्भ में रिमाण्ड किये जाने से मामले में पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए समुचित जांच की जाकर बाद जांच रेकार्ड के आधार पर मृतक के वैधानिक वारिसान के नाम किये जाने हेतु आदेशित किया गया था इसपर विद्वान तहसीलदार उपरोक्त प्रशासन गांव के संग अभियान में दिनांक 06.06.2016 को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव वारिसान की जांच रिपोर्ट मय मौका परचा व गवाहान बयान दिनांक 12.12.2015 के आधार पर मृतक खातेदार माधोसिंह पि0 गोपसिंह के बजाय उनके वारिसान पप्पूसिंह,कैलाश कंवर,मुन्ना कंवर,प्रकाशकंवर,शैलकंवर के नाम दर्ज करना उचित मानते हुए खुले इजलास लिखा जाकर सुनाया गया । पत्रावली में उपलब्ध वंश वृक्ष में भी गोपालसिंह के उत्तराधिकारियों में क्रमश माधुसिंह पिता गोपालसिंह व मोतीसिंह पिता गोपालसिंह ही हैं अपीलांट द्वारा अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने एक माह का समय चाहा था किन्तु प्रकरण के लम्बित अवधि के समय भी किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से पूर्णतया सहमत है कि विद्धान अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत होने से अपील अपीलांट खारिज किया जावे । नामान्तरण की कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियमि, 1956 की धारा 23 के अधीन एक अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही (Qusijudicial) होती है जिसमें संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें भूमि संबंधी अधिकारों के विषय में कोई अंतिम रूप से निर्णयात्मक फैसला नही हो सकता । जहां तक अपीलांट के खातेदार काश्तकार होकर व विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा होने का प्रश्न है अपीलार्थी को रेगुलर वाद दायर करना चाहिए था टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत ही किसी का खातेदारी अधिकार घोषित अथवा समाप्त किया जा सकता है । इस मामले में विद्वान तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में आदेश जारी करने में कोई कानूनी गलती नहीं की गई है । अपीलार्थी अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में लाकर अपने अधिकारियों का प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि रेगुलरवाद में विचारण की एक विस्तृत प्रक्रिया है जबकि नामान्तरकरण एक संक्षिप्त विचारण वाली फिस्कल प्रक्रिया है जिससे किसी प्रकार के हक अधिकारों का निर्णय नहीं हो सकता है । तहसीलदार सहाडा के

निर्णय दिनांक 06.06.2016 में कोई विधिक त्रृटि नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं हैं ।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या एल0आर0एक्ट 113/2016 (2016/00024) बउनवानी चावण्डसिंह व अन्य बनाम श्रीमती शैलकंवर पत्नि स्व0 माधुसिंह व अन्य को खारिज किया जाकर तहसीलदार,सहाडा जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 20/2014 बउनवान चावण्डसिंह व अन्य बनाम श्रीमती शैलकंवर पत्नि स्व0 माधुसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.02.10 12:14:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: